राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक प.9(17)कार्मिक/क-5/93 जयपुर, दिनांक 21-10-2002

समस्त जिला कलेक्टर्स एवं मजिस्ट्रेट।

परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्पष्टीकरण चाहे जाते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, को उनके स्वयं अथवा उनकी संतानों के उपयोगार्थ उक्त वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र देय है अथवा नहीं।

प्रकरण पर परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्ग के अन्य राज्य से माईग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे माईग्रेट हुए व्यक्तियों की संतानों को जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हुआ है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अधिसूचित किया गया है) में सम्मिलित है तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु आपके अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

[illegible]

[illegible] शासन सचिव